# स्वजलधारा परियोजना जनपद सुलतानपुर का संक्षिप्त विवरण

**पृष्ठभूमिः—** राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषित स्वजल धारा परियोजना जनपद में वर्ष 2002—03 में कुल 14 विकास खण्डों के 42 ग्राम पंचायत में कुल 67 परियोजना संचालित है। परियोजना की प्रथम किश्त दिनांक 14.10.2004 को मु0 151.80 लाख एवं द्वितीय किश्त 31.03.2005 को 151.80 लाख प्राप्त हुई है। जिसमें 27.90 लाख सामुदायिक अंशदान सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण परियोजना परिव्यय मु0 331.50 लाख है। वर्तमान में सामुदायिक अंशदान सहित 280.86 लाख व्यय किया जा चुका है। 47 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 22 परियोजनाओं का कार्य इसी माह तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

वर्ष 2004—05 में 3 विकास खण्डों के 3 ग्राम पंचायत में मात्र 3 परियोजना संचालित है। जिसमें 70 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को निर्गत की गयी है तथा कार्य प्रगति पर है।वर्तमान में एक परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी शेष 2 परियोजनाओं का कार्य आगामी माह में पूर्ण करा दिया जायेगा।

वर्ष 2006—07 में 50 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें क्रियान्यवन चरण पूर्ण हो गया है। यह परियोजना मांग आधारित एवं सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्तों पर ग्रामीण समुदाय को पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। परीक्षण उपरांत सहयोगी संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित ग्रामों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया था, जिसे तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को भेजा गया है।

**उद्‌देश्यः—** **1**—ग्रामीण बस्तियों में सहभागिता के आधार पर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।

**2**—समुदाय को आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाये जाने की दिशा में प्रयास करना।

**3**—सामाजिक चेतना की अभिबृद्धि हेतु सार्थक पहल करना।

**4**—सामुदायिक सशस्तीकरण हेतु प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित करना।

**5**—पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रयास करना।

**नियोजन चरण लक्ष्यः—** नियोजन चरण में राजस्व ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समूह तथा ग्राम पंचायत पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समूह समुदाय की मांग और योजना के क्रियान्वयन, संचालन एवं देख—रेख में उसके योगदान तथा भागीदारी की तत्परता की पुष्टि होती है। इस प्रक्रिया में सहयोगी संस्था की भूमिका एक सुविधाकर्ता की है, जो समुदाय के मार्गदर्शन में सहायक होता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के निर्णय को एक विस्तृत सामुदायिक कार्ययोजना और क्रियान्वयन चरण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाय।

**ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठनः—** ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समूह बनाये जायेंगे, जिसमें 7 से 12 तक सदस्य होंगे तथा समूह से एक सदस्य ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समूह के लिये मनोनीत किया जायेगा। इन प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 7 होगी तथा समूह के गठन में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं जिसमें 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति का प्रतिनिधत्व अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की

जल प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष ही ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा तथा उपभोक्ता समूह में चयनित सदस्यों में से एक सदस्य को कोषाध्यक्ष चुना जायेगा। इस समिति का एक संयुक्त खाता स्थानीय बैक शाखा में खोला जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष करेगा।

**बैठकः—** एक समुदाय व्यापी बैठक का कोरम ग्राम पंचायत समाविष्ठ गावों की कुल व्यस्क आबादी का 20 प्रतिशत होगा, जिसका 20 प्रतिशत महिलाऐं होगी, परन्तु कम से कम 50 प्रतिशत मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य शर्त होगी। गणपूर्ति का आधार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार होगा ।

**स्वस्थ गृह सर्वेक्षणः—** समूह में चयनित सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा एक बार सभी मोहल्ले/टोलो में समुदाय के साथ मिलकर गृह सर्वेक्षण करेंगे तथा सम्पूर्ण गांव की व्यक्तिगत, घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी स्थिति का संकलन करेंगे। सहयोगी संस्था स्वस्थ घर सर्वेक्षण के आंकणों की एक प्रति जनपद स्तर पर उपलब्ध करायेगी। स्वस्थ घर सर्वेक्षण में निम्न सूचक होंगेः—

**1—** शौच के बाद साबुन अथवा राख से हाथ धोना।

**2—** खाना खाने से पूर्व साबुन अथवा राख से हाथ धोना।

**3—** पीने एवं खाना बनाने हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी का प्रयोग।

**4—** शिशु मल का सुरक्षित निपटान ।

**5—** शौच हेतु शौचालय का प्रयोग एवं गन्दे पानी की निकासी तालाबों में हो।

**पेयजल योजना चयनः—** सहयोगी संस्था ग्राम पंचायत के अर्न्तगत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों के निवासियों को समुदाय व्यापी बैठक में उक्त कोरम के अनुसार परियोजना के उद्देश्यों, अभिगमों और कार्य पद्धति से परिचित करायेंगी। ग्राम पंचायत की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार पेयजल परियोजनाओं का चयन करना होगा, जिसमें वर्तमान में विद्यमान पेयजल आपूर्ति की स्थिति, व्यवहार पर बल देते हुए पानी ले आने में लगने वाले समय, अन्य संबद्ध मुद्दो पर विचार करेगी। तत्पश्चात् उपभोक्ता समूह की सहमति से आवश्यक्तानुसार पेयजल उपलब्धता हेतु उचित योजना का चयन करायेगी तथा सहयोगी संस्था विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से जांच कराकर जनपद स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

## क्रियान्वयन चरण

## 1.— योगदान और प्रबन्धन योजनाः—

क्रियान्वयन चरण में सहयोगी संस्था से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने तुरन्त बाद डी0पी0आर0 के अनुसार आंकलित लागत पूंजी के प्रति सामुदायिक अंशदान, जिसका संग्रह कर लिया गया है को वी0डब्लू0एस0सी0 के खाते में जमा करा देगी।

लागत साझेदारी के नियमः— 40 ली0 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवा स्तर के लिए समुदाय का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत होगा तथा 40 ली0 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवा स्तर से ऊपर 55 ली0 तक के लिए समुदाय का अंशदान 20 प्रतिशत होगा, शेष धनराशि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जायेगी।

सामुदायिक अंशदान नगद/वस्तु/मजदूरी/भूमि या इन सब के संयोजन के रूप में भी हो सकता है, परन्तु समुदाय के अंशदान का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि नकद रूप में देय होगी।

## 2.– निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रकियांयें:–

यह सुनिश्चित करना है कि डी0पी0आर0 के अनुसार बी0डब्लू0एस0सी0 तकनीकी योजना के तहत निर्माण कार्य सर्वोच्च कारीगरी के साथ करायें। पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रणालियों में निर्माण कार्य स्रोत से शुरू होना चाहिए और नीचे मेन लाइन की ओर पाइपों को वांछित गहराई में बैठाते हुए जाना चाहिए और मुख्य पाइप की अलग–अलग संरचनाओं को आवश्यक्तानुसार बनाते हुए वितरण पाइप की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक निर्माण स्थल पर पानी उपलब्ध हो जाता है और इन स्थलों पर पानी ढ़ोना नहीं पड़ता। वी0डब्लू0एस0सी0 से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सदस्यों एवं कलस्टर महिला समूहों को निर्माण संबंधी जानकारी लागत के अनुसार दें ताकि वे निर्माण के दौरान कार्य का मूल्यांकन करें और वी0डब्लू0एस0सी0 को उचित सुझाव दें सकें।

## 3.– सामाग्रियों का कय और भण्डारण:–

कय के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकियायें निम्न हैं:–

1– निर्माण कियाकलाप के लिए सामग्री कय करने का कार्य वी0डब्लू0एस0स0ी के जे0ई0 एवं सहयोगीसंस्था के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। वी0डब्लू0एस0सी0 निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक लाट की सामग्री को कय करने हेतु कय समिति को अधिकृत करेगी। जो सामाग्रियां आई0एस0आई0 मार्क की उपलब्ध हैं, वे सारी सामग्रियां आई0एस0आई0 मार्क की कय की जायेंगी।

2– कस समिति द्वारा सामग्री कय करने हेतु प्रोफार्मा बीजक प्राप्त करके उसे अनुमोदन हेतु वी0डब्लू0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति का निर्णय निर्धारित प्रपत्र पर लिया जायेगा। साथ ही इसका अनुमोदन डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा भी लिया जायेगा।

3– डी0डब्लू0एस0सी0 प्राप्त प्रोफार्मा बीजकों की समीक्षा करेगी, लागत नियंत्रण अभ्यास तैयार करेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अपनी अनापत्ति या टिप्पणी भेज देगी। डी0डब्लू0एस0सी0 से भुगतान प्राप्त होते ही वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा कम से कम 70 प्रतिशत सामग्री कय कर ली जानी चाहिए।

4– वी0डब्लू0एस0सी0 की कय समिति आपूर्तिकर्ता से यह वचन लेगी कि जांच में असफल रहने पर वह सामग्री वापस ले लेगा।

5– कार्यस्थल पर सामग्रियों के पहूॅचने पर वी0डब्लू0एस0सी0 को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रोफार्मा बीजक के अनुसार उल्लिखिति ट्रेडमार्क एवं मात्रा वही है जो बीजक में दर्शायी गयी है।

6– वी0डब्लू0एस0सी0 कय की गयी सामग्रियों के भण्डारण हेतु अपने सदस्यों में से किसी एक को नामित करेगी तथा उसकी जिम्मेदारी होगी कि प्राप्त सामग्री का संबंधित पंजिका में अंकन करके सुरक्षित स्थान पर सामग्री को रखे तथा निर्माण में प्रयोग होने वाली सामाग्री को उपलब्ध कराये।

7– भण्डारण के स्थान की व्यवस्था वी0डब्लू0एस0सी0 निर्धारित करेगी ।

## 4.– सामुदायिक सशक्तिकरण:–

सामुदायिक सशक्तिकरण कार्ययोजना के आधार पर सहयोगी संस्था वी0डब्लू0एस0सी0 की सहायता से निर्धारित निम्न गतिविधियों का संचालन करेगी।

1– स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता जागरूकता के संबंध में विभिन्न किया कलाप जैसे–हेसा संबंधित सत्रों का आयोजन, स्वास्थ्य घर सर्वेक्षण, स्वास्थ्य मेला, सफाई अभियान आदि।

2– महिला विकास पहल से संबंधित कार्यशाला, प्रशिक्षण एवं उनके मांग आधारित व्यवहारिक शिक्षा की कक्षायें आदि।

## 5.— सामान्यः—

1— सामुदाय के अर्न्तगत किसी सार्वजनिक स्थल पर संक्षिप्त लेखा स्थिति विवरण के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु वी0डब्लू0एस0सी0 उत्तरदायी है।

2— अभिलेखों के निरीक्षण हेतु एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा अधिकृत आडिट अथवा किसी अन्य अधिकारी/संगठन के समक्ष वी0डब्लू0एस0सी0 प्राप्तकर्ताओं की रसीदों एवं समस्त प्रलेखों आदि को प्रस्तुत करेगी।

3— अनुबन्ध में उल्ललिखित समय पर एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा नियुक्त आडीटर उक्त खातों का लेखा परीक्षण करेंगे।

**जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,**
**सुलतानपुर।**